(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. क्रमांक - 43 **नई दिल्ली 1 मार्च, 2011**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वाँ) की धारा 48 और 49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण लौह-अयस्क गुटिकाओं के प्रहस्तन हेतु, पत्तन के दरमान में प्रदत्त पोत घाट शुल्क के प्रभार की अनुप्रयोज्यता के संबंध में पारादीप पत्तन न्यास के द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ पत्र को एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
संख्या. टीएएमपी/9/2011-पीपीटी

पारादीप पत्तन न्यास **---** **आवेदक**

आदेश
(फरवरी, 2011 के 18 वें दिन पारित)

यह मामला सामान्य कार्गो बर्थ पर,जिसे यंत्रीकृत किया जाना है, लौह-अयस्क गुटिकाओं के प्रहस्तन हेतु, परिकल्पित पोत घाट शुल्क के प्रभार की अनुप्रयोज्यता के संबंध में पारादीप पत्तन न्यास के द्वारा माँगे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ पत्र से संबंधित है।

2. पीपीटी ने निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगी है:-

(क) क्या बर्थ के यंत्रीकरण के बाद ,लौह-अयस्क गुटिकाओं का प्रहस्तन, पीपीटी के दरमान की धारा 2.1(5) (क) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, दरमान की उपरोक्त धारा प्रहस्तित कार्गो की मात्रा से संबंधित स्लाइड रेट प्रदान करती है।

(ख) यदि नहीं तो, क्या उसके लिए ₹.34.50/- प्रति टन की दर से पोत घाट शुल्क लागू होगा।

3. पीपीटी से प्राप्त संदर्भ पत्र की प्रारंभिक संवीक्षा के उपरांत, पत्तन से अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था जिसका पीपीटी ने उत्तर दिया है। हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करते समय , पीपीटी ने अन्य बातों के साथ यह भी कहा है कि प्रचलित दरमान में किसी भी प्रकार की संदिग्धता नहीं है, परन्तु केवल अनुज्ञप्तिधारियों के अनुरोध पर ही, इस प्राधिकरण के समक्ष, संदर्भ पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

4. प्रदत्त सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पीपीटी से अनुरोध किया गया था कि वह उपयुक्त उपयोगकर्ताओं /पणधरियों से अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए उनमें अपने संदर्भ पत्र हमारे प्रश्न परिपत्रित करें। पीपीटी ने सूचित किया है कि उसने अपना पत्र एस्सार बल्क टर्मिनल पारादीप लिमिटेड (ईबीटीपीएल) एक अनुज्ञप्तिधारी जिसे मौजूदा बर्थ को यंत्रीकृत बर्थ में रूपांतारित करने के लिए एवं रूपांतरित बर्थ को अपने स्वंय के कार्गो के प्रहस्तन हेतु प्रचालित अनुज्ञप्ति प्राप्त है,पत्र को परिचारित किया है। इस मामले को अंतिम रूप देते समय तक , हमें ईबीटीपीएल से किसी भी प्रकार की लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं।

5. अपने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के लिए, पीपीटी के द्वारा दाखिल प्रस्ताव से संबंधित अन्य प्रशुल्क मामलो के साथ इस मामले में, भुवनेश्वर में पीपीटी के परिसर में 03 फरवरी ,2011 को एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। ईबीटीपीएल ने संयुक्त सुनबाई की कार्रवाई के दौरान माना था कि कार्गो के यंत्रीकृत प्रचालन हेतु, पीपीटी के दरमान के अनुसार पोत घाट शुल्क लगाना चाहिए । पीपीटी ने कहा है कि प्रचलित दरमान में किसी भी प्रकार की संदिग्धता नहीं है एवं 23 अक्टूबर, 2010 को इस प्राधिकरण से अपने संदर्भ पत्र के द्वारा माँगी गई स्पष्टीकरण अनावश्यक है। परिणामस्वरूप, पीपीटी ने इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए हुए, अपने संदर्भ पत्र को वापस लेने के लिए प्रार्थना किया है।

6. चूँकि पीपीटी मानता है कि प्रचलित दरमान में, जिस पर इस प्राधिकरण से स्पष्टीकरण की अपेक्षा थी, कोई संदिग्धता नहीं है । पीपीटी के द्वारा प्रस्तुत संदर्भ पत्र के आधार पर, आरंभ किए गए मामले को विरोधी विवाद के गुणावगुणों की गहराई में जाये बिना वापस लिया हुआ समझते हुए, बंद किया जाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा